फर्द अहकाम

रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार

पत्र संख्या: 78 / 2021

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बडी का खेडा पटवार हल्का दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि जमावन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 77 के खसरा नम्वर 404 रकवा 0.54 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 निहित हैं, एवं खाता संख्या 109 खसरा नम्वर 373 रकवा 0.34 हैक्टेयर खसरा नम्वर 374 रकवा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 375 रकवा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 0.66 हैक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 निहित है। प्रार्थी के पिता मेवाराम पुत्र रामदेव की विरासत की नामान्तकरण में प्राथी का नाम रामस्वरूप के बजाय रामेश्वर पुत्र मेवा दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामस्वरूप पुत्र मेवाराम हैं। दौराने विरासत के नामान्तकरण प्रक्रिया के प्रार्थी का नाम रामस्वरूप के बजाय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्यूटर की टकणीय गलती से रामेश्वर कर दिया गया जो गलत हैं। प्रार्थी के सभी दस्तावेज शिक्षा के दस्तावेज, पैनकार्ड पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र मेवाराम दर्ज व अंकित हैं। लेकिन दौराने विरासति नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियों की गलती से भूलवश हाल खसरा नम्बरान् के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप के बजाय रामेश्वर दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि पर के०सी०सी० लेने की कार्यवाही की गई तो पटवारी हल्का से जमाबन्दी नकल प्राप्त कर बैंक में सम्पर्क किया जिस पर बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामेश्वर होने व दस्तावेजात मे रामस्वरूप होने के कारण के०सी०सी बनाने से इन्कार दिया और कहा कि पहले इसको शुद्ध करवाओ। जिसकी शुद्धि किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जाकर पुनः अपना नाम रामेश्वर के बजाय रामस्वरूप पुत्र मेवाराम करवाने के [illegible] अधिकारी [illegible] तथा हैं। प्रार्थी को रामस्वरूप [illegible] मतदान परिचय पत्र व आधार कार्ड में भी [illegible] नाम रामेश्वर व के नाम से बना हुआ है तथा यह दोनों नाम रामेश्वर व रामस्वरूप एक ही व्यक्ति हैं अन्य किसी का [illegible] भूमि से कोई सरोकार नही हैं। जिसकी रिकार्ड शुद्धि किया जाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:22:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

04.04.2024

रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 78/2021

कानूनन आवश्यक व प्रार्थनीय हैं। उक्त लिपिकीय व राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटि को माननीय न्यायालय द्वारा शुद्ध की जा सकती हैं। उक्त दुरूस्ती करने में अन्य किसी का कोई हित प्रभावित नहीं होता है इस कारण इसमें किसी अन्य को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये धारा 136 एल० आर० एक्ट के प्रावधानों के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक त्रुटिवश हुए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की दुरुस्ती धारा 136 एल० आर० एक्ट के अर्न्तगत किये जानें का विधिक प्रावधान विधि में स्थापित है और धारा 136 एल० आर० एक्ट का प्रार्थना पत्र श्रवण एंव निर्णित करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। उपरोक्त त्रुटि दौराने विरासत नामान्तकरण कारित की गई है जो कि एक लिपिकीय भूल है जो माननीय न्यायालय भू-अभिलेख अधिकारी की हैसियत से दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार धारित करते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम बडी का खेडा पटवार हल्का दहमीकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.54 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 109 खसरा नम्बर 373 रकबा 0.34 हैक्टेयर खसरा नम्बर 374 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 375 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामेश्वर के बजाय रामस्वरूप पुत्र श्री मेवाराम दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तसीलदार सांगानेर को जवाब हेतु तहरीर जारी की गई। लेकिन तहसीलदार सांगानेर की तरफ से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पत्रावली में सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वाके ग्राम बडी का खेडा पटवार हल्का दहमीकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.54 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 109 खसरा नम्बर 373 रकबा 0.34 हैक्टेयर खसरा नम्बर 374 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 375 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामेश्वर के बजाय रामस्वरूप पुत्र श्री मेवाराम दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:22:27 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 78/2021

पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बडी का खेडा पटवार हल्का दहमीकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.54 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 109 खसरा नम्बर 373 रकबा 0.34 हैक्टेयर खसरा नम्बर 374 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 375 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामेश्वर के बजाय रामस्वरूप पुत्र श्री मेवाराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:22:27 IST
Reason: SelfAttested